


फर्द अहकाम

उपखण्ड अधिकारी चाकसू जयपुर जमीन

बनाम बालाराम रामकल्याण

ख्या / वर्ष : ५१ / २०२०

दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
०१/१२५	<p>पन्नावली पेश हुई जमीन वाली ४५.१ वादी • कोत हो चुका है सन्ने ९० दिवस के उपरांत भी कायम मुकाम की कोई कार्यवाही नहीं की गई। ऐसी स्थिति में अग्र-मुकाम एतन्नात्र वादी की हलचल होने व अग्रम मुकाम की कार्यवाही मिसाद अवधि में न होने से वाद अवेट हो गया है।</p> <p style="text-align: right;">अतः अवेटमेंट के आधार पर दावा खारिज किया जाता है।</p> <p>पन्नावली केतल शुमार होकर दर्ज नम्बर लेकर हो।</p> <p style="text-align: center;">  उपखण्ड अधिकारी चाकसू (जयपुर) </p>	